

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या-8/2023/2365863/2023
लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 (प्रथमसंशोधन), 2021 के प्रस्तर-6.2.1 के प्राविधानान्तर्गत नीति के अनुलग्नक-1 में चिन्हांकित क्लस्टर की सूची के विस्तार एवं संशोधन के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/2064099/2022, दिनांक 15-3-2022 द्वारा गठित 'राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति' की तृतीय बैठक दिनांक 14-2-2023 में नीति के संलग्नक (अनुलग्नक-1) के चिन्हांकित उत्पाद के जनपद की क्लस्टर सूची में विस्तार और संशोधन किये जाने हेतु लिये गये निर्णय/स्वीकृति के अनुक्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2022/2122948/2022, दिनांक 22-7-2022 द्वारा निर्गत नीति के अनुलग्नक-1 (द्वितीय संशोधन) को निम्नानुसार अनुलग्नक-1 (तृतीय संशोधन) से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 (यथासंशोधित), 2022 का संलग्नक

अनुलग्नक -1 (तृतीय संशोधन)

उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
ताजे फल / सब्जी , खाद्यान्न , तिलहन	
आम	वाराणसी , सहारनपुर , मेरठ , लखनऊ , सीतापुर , उन्नाव , अमरोहा , रामपुर , बुलन्द श हर , अयोध्या , बिजनौर , मुज्जफरनगर , हरदोई , कासगंज , अम्बेडकरनगर , अलीगढ़ , खीरी , बाराबंकी , कु शीनगर , मुरादाबाद , बागपत , प्रतापगढ़ , बलरामपुर , बहराइच , शाहजहाँपुर ।
केला	गोरखपुर , कु शीनगर , महाराजगंज , बहराइच , श्रावस्ती , सिद्धार्थनगर , बाराबंकी , कौशाम्बी , फतेहपुर , खीरी , लखनऊ , मैनपुरी , पीलीभीत , मुरादाबाद , सन्तकबीर नगर , सीतापुर ।
अमरुद	कौशाम्बी , प्रयागराज , कानपुर नगर , बदायूँ , फर्रुखाबाद , कासगंज , अलीगढ़ , एटा , हाथरस , मुरादाबाद , बुलन्द श हर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	, रामपुर , उन्नाव , सम्भल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर।
लीची	सहारनपुर ।
आँवला	प्रतापगढ़ , कौशाम्बी , अयोध्या , प्रयागराज , मथुरा , आजमगढ़ , बस्ती , फतेहपुर।
आलू	आगरा , फर्रुखाबाद , कानपुर नगर , कन्नौज , बदायूँ , सम्भल , फिरोजाबाद , हाथरस , अलीगढ़ , इटावा , मैनपुरी , प्रयागराज , शाहजहाँपुर , बाराबंकी , हरदोई , मथुरा, बुलन्दशहर।
ताजी सब्जियां (हरी मिर्च , भिन्डी , लौकी , करेला , हरी मटर , परवल , टमाटर , पत्तेदार सब्जियां , इत्यादि)	लखनऊ , अयोध्या , कानपुर नगर , वाराणसी , जौनपुर , गाजीपुर , मिर्जापुर , सोनभद्र , चन्दौली , कौशाम्बी , जालौन , कासगंज , बरेली , बाराबंकी , बुलन्द शहर , अलीगढ़ , बलिया , फतेहपुर , फिरोजाबाद , मुरादाबाद , उन्नाव , आगरा , मेरठ , मैनपुरी , गोण्डा , हापुड़ , एटा , अम्बेडकरनगर , बहराइच , अमरोहा , ललितपुर , झांसी , महोबा , सुल्तानपुर , हमीरपुर , अमेठी , खीरी , बस्ती , कुशी नगर , कन्नौज , सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर। टमाटर उत्पाद हेतु जनपद सीतापुर को भी जोड़ा जाता है।
जिमीकन्द	बहराइच।
खीरा	सहारनपुर ।
बासमती चावल	सहारनपुर , मेरठ , अलीगढ़ , आगरा , बरेली , मुरादाबाद, सम्भल।
मक्का	गोण्डा, अलीगढ़, बुलन्दशहर ।
बाजरा	अलीगढ़
धान	सुल्तानपुर, अयोध्या, लखीमपुर-खीरी ।
गेहूँ	सुल्तानपुर , अलीगढ़, अयोध्या, लखीमपुर-खीरी ।
सरसों	अलीगढ़, बुलन्दशहर
तिल	झांसी , हमीरपुर , महोबा , बांदा , जालौन।
मूंगफली	हमीरपुर
चिकोरी	एटा , कासगंज।
लहसुन	फिरोजाबाद , एटा , मैनपुरी।
हल्दी	बहराइच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मेंथा (मिन्ट)	बाराबंकी , बदायूं , मुरादाबाद , सीतापुर , रामपुर , जालौन, बरेली, सम्भल ।
गन्ना	सीतापुर, अयोध्या , लखीमपुर-खीरी , सहारनपुर , मुजफ्फरनगर , शाहजहाँपुर ।
औषधीय पौधे एवं उसके उत्पाद	
तुलसी	हमीरपुर
भौगोलिक संकेत वाली फसलें	
इलाहाबादी सुर्ख अमरुद	प्रयागराज , कौशाम्बी
मलिहाबादी द शहरी	लखनऊ
बासमती चावल	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 जिले
काला नमक चावल	गोरखपुर , महाराजगंज , सन्तकबीर नगर , सिद्धार्थनगर , बहराइच , गोण्डा , देवरिया , बस्ती , कु शीनगर , बलरामपुर , श्रावस्ती।
जैविक उत्पाद	
धान , गेहूँ , सब्जियां , आलू , औषधीय पौधे , सरसों , बाजरा , आम , अमरूद , मूंग , उरद , गन्ना , हल्दी , मटर , अरहर , इत्यादि	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की लिस्ट के अनुसार क्लस्टर जिला / क्षेत्र
पशु / डेयरी एवं उनके उत्पाद	
ताजा दूध , स्किमड दूध , पनीर , घी , मक्खन , चीज , मिल्क पाउडर , मांस , इत्यादि	एटा , मथुरा , बुलन्द शहर , वाराणसी , गोरखपुर , उन्नाव , अलीगढ़ , रामपुर , लखनऊ , मेरठ , कानपुर नगर ।
प्रसंस्कृत उत्पाद	
अचार , फ्रोजन सब्जियां , जूस , जैम , जैली , रेडी टू ईट , रेडी टू कुक , कन्फेक् श नरी , खाद्यान्न आटा , खाद्यान्न रोस्टेड , नमकीन , इत्यादि	गाजियाबाद , गौतमबुद्ध नगर , मेरठ , आगरा , मथुरा , लखनऊ , वाराणसी , झांसी , कानपुर , प्रयागराज , बुलन्दशहर ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मछली एवं मछली उत्पाद

मछली एवं मछली उत्पाद	गोरखपुर , महाराजगंज , कु शी नगर , देवरिया
----------------------	---

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-8/2023/2365863/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग , भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5- कृषि उत्पादन आयुक्त , उ०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 7- स्थानिक आयुक्त, उ०प्र० नई दिल्ली।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी , उ०प्र०।
- 9- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र० किसान मण्डी भवन,गोमती नगर, लखनऊ।
- 10- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० किसान मण्डी भवन,गोमती नगर, लखनऊ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 12- निदेशक ,मुद्रण एवं लेखन सामग्री ,ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश की 100 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग , उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।